न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद

प्रकींण संख्या 136/2013

अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रदत्त अधिनियम—2002

थाना-कटघर जिला मुरादाबाद

सम्पत्ति स्थित–भदौरा, रहमतनगर मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया बनाम शाख पीतल बस्ती मुरादाबाद

1—श्री मुख्तार अहमद पुत्र श्री हाजी अशफाक हुसैन 2—श्रीमती शादिया मुखतार

पत्नी श्री मुख्तार अहमद नि0 कटार शहीद निकट किंग मेडिकल हाल-कटघर मुरादाबाद (ऋणी)

3-श्री बबलू पुत्र श्री रईस नि0 मौ0 तबेला मुरादाबाद

(गारन्टर)

आदेश

श्री नवनीत गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा पीतल बस्ती मुरादाबाद द्वारा दिनांक 07.8.2013 को शपथपत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम—2002 के अन्तंगत विपक्षीकम में 1—श्री मुख्तार अहमद पुत्र श्री हाजी अशफाक हुसैन 2—श्रीमती शादिया मुखतार पत्नी श्री मुख्तार अहमद नि0 कटार शहीद निकट किंग मेंडिकल हाल—कटघर मुरादाबाद (ऋणी) 3—श्री बबलू पुत्र श्री रईस नि0 मौठ तबेला मुरादाबाद (गारन्टर) को संयोजित कर विपक्षया श्रीमती सादिया मुख्तार की सम्पत्ति क्षेत्रफल 65.83 वर्ग मीटर स्थित ग्राम भदौरा रहमत नगर गली नं० 1 निकट एठजी०एम० पब्लिक स्कूल थाना कटघर जिला मुरादाबाद जिसकी चौहद्दी पूरव में—प्लाट सीताराम तथा अन्य पश्चिम में—रास्ता उत्तर में—रास्ता दक्षिण में—रास्ता है, को बैंक में बन्धक रखकर प्राप्त किये गये ऋण का मुगतान न करने पर आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा आवश्यक पुलिस बल के सहयोग से प्राप्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है। बैंक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षीगण को पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 28.12.2011 को निर्गत डिमाण्ड नोटिस अन्तंगत धारा 13 (2) दिनांकित 20.12.2011 धनराशि पुठ 5,59,246/—रूपये मय ब्याज व अन्य खर्च की बकाया होने तथा कब्जा नोटिस (Possession Notice) दिनांक 21.6.2012 जो दिनांक 28.6.2012 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है, की छायाप्रति, विक्रय विलेख दिनांकित 24.03.2008 की छायाप्रति दाखिल की है।

बैंक प्राधिकृत अधिकारी के उपर्युक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कराकर विपक्षी को सूचना पत्र निर्गत किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है।

मैंने बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अमिलेखीय साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। वादी / बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का यह भी कथन है कि विपक्षी द्वारा बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया गया जिस कारण कारण ऋण खाता एन०पी०ए० हो गया तथा विपक्षी को उक्त अधिनयम की धारा—13(2) के अर्न्तगत बैंक द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 28.12.2011 को डिमाण्ड नोटिस दिनांकित 20.12.2011 निर्गत किया गया जिसमें 60 दिन के अन्दर भुगतान करने की अपेक्षा की गयी। एरन्तु विपक्षीगण द्वारा नोटिस में निर्धारित समय अविध व्यतीत जाने के उपरान्त भी ऋण की धनराशि अदा नहीं की गयी। इसके पश्चात बैंक ने धारा 13(4) के अर्न्तगत कब्जा नोटिस दिनांकि 21.6.2012 जो पंजीकृत डाक दिनांक 28.6.2012 के द्वारा निर्गत किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा बैंक ऋण की कोई अदायगी नहीं की और न ही वास्तविक कब्जा बैंक को कराया गया। प्रश्नगत प्रकरण की सम्पत्ति के संबंध में विपक्षी को किसी सक्षम न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। विपक्षी को कोई नोटिस विधिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 300(बी) / क0नि0—6—2010 संस्थागत वित्त—कर एवं निबन्धन अनुभाग—6 लखनऊ दिनांक 17.फरवरी 2010 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि सरफेसी एक्ट की सम्बन्धित धाराओं में इस प्रकार का कोई प्रविधान नहीं है कि बैंको द्वारा 14 वित्तीय अरितयों का प्रतिभूतिकरण पुर्नगठन और प्रतिभृति हित प्रदत्त अधिनियम—2002 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवायी आदि की कार्यवाही की जाये।

है। प्रश्नगत प्रकरण की सम्पत्ति के संबंध में किसी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल न्यायालय से कोई स्थगनादेश प्राप्त कि बैंको द्वारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम-2002 के अर्त्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवायी आदि की कार्यवाही की जाये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी को ऋण का भुगतान करने हेतु बैंक द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है फिर भी ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया गया उपर्युक्त तकोँ एव वादी / बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एव उक्त शासनादेश तथा है कि सरफेसी एक्ट की सम्बन्धित धाराओं में इस प्रकार का कोई भौतिक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बन्धक सम्पत्ति पर वादी/बैंक को अवलोकन से स्पष्ट दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्राविधान नहीं है

तद्नुसार अनुपालन हेतु प्रेषित की जाये। आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद एंव मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इपिडया शाखा पीतल बस्ती मुरादाबाद को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी भुगतान न किये जाने पर विपक्षया श्रीमती शादिया मुख्तार की बन्धक सम्पत्ति क्षेत्रफल 65.83 वर्ग मीटर स्थित ग्राम भदौरा, रहमत नगर गली नं0–1 निकट ए० जी० एम० पब्लिक स्कूल थाना कटघर जिला मुरादाबाद जिसकी चौहद्दी चौहद्दी पूरब में–प्लाट सीताराम तथा अन्य पश्चिम में–रास्ता उत्तर में–रास्ता दक्षिण में–रास्ता है,, को यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा पीतल बस्ती मुरादाबाद के पक्ष में अधिग्रहीत करने का आदेश देता हूँ। साथ ही अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) मुरादाबाद व पुलिस क्षेत्राधिकारी कटघर जिला मुरादाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह इस संबंध में उक्त सम्पत्ति को अधिगृहीत कर उसका भौतिक कब्जा वादी / बैंक को हस्तान्तरित कराकर अनुपालन आख्या एक पक्ष के अन्दर इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी उक्त अतः मैं संजय कुमार, जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विपक्षीगण 1—श्री मुख्तार अहमद पुत्र श्री हाजी अशफाक हुसैन 2—श्रीमती शादिया मुखतार पत्नी श्री मुख्तार अहमद नि0 कटार शहीद निकट किंग मेडिकल हाल–कटघर मुरादाबाद द्वारा लिए गये बैंक ऋण करें। इस आदेश की प्रति अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) मुरादाबाद एंव पुलिस क्षेत्राधिकारी कटघर दोनों अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर निश्चित दिनांक को उपस्थित होकर मौके पर वास्तविक जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित हो। मुरादाबाद को

दिनांक 12.02.2014

(संजय कुमार) जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद